उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या : ए-4/ई-1/2020
दिनांक : 29/12/2020

सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020

आन–लाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि :– 29/12/2020

आनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि :– 25/01/2021

आनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि :–29/01/2021

महत्वपूर्ण

यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित/आवश्यक सूचना छिपायी जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरूद्ध अन्य उचित कार्यवाही जैसे प्रतिवारण आदि प्रारम्भ की जा सकती है।

विशेष सूचनाः–(क) ''बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आन लाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आन लाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन **'Submit'** करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा शुल्क के रूप में जमा की गई कोई भी धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।''

(ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कॉलम में अपना मोबाइल नं0 और मान्य ई–मेल आईडी देना होगा जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नं0 पर भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश एसएमएस द्वारा भेजे जायेंगे तथा ई–मेल उनके मान्य ई–मेल आईडी पर प्रेषित किये जायेंगे।

आन–लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की website **http://uppsc.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु 'आन–लाइन' आवेदन पद्धति (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन–लाइन आवेदन ही करें।

''आन–लाइन आवेदन'' करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तद्नुसार आवेदन करें:–

1–आयोग की Website **http://uppsc.up.nic.in** पर **"ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS"** अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसके निम्नलिखित तीन भाग हैः–

(i) User Instructions

(ii) View Advertisement

(iii) Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें ''आन–लाइन आवेदन पद्धति'' लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन–लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आनलाइन आवेदन हेतु "Apply" पर Click करें।

''आन–लाइन आवेदन'' करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगाः–

प्रथम स्तर–Apply Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गई सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो "Edit" button पर क्लिक करें। भरी गई सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात् ही, 'Submit button' पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय स्तर–प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर "Click here to proceed for payment" कैप्शन के साथ 'Fee to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक MOPS (Multi Option Payment System) का Home Page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् "Payment Acknowledgement Receipt (PAR)" प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय स्तर–द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Proceed for final submission of application form' पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनाएं भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिये। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके Upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया **परिशिष्ट–1** में दी गई है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "PREVIEW" को Click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही–सही भरी गई हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "Submit" बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही–सही निर्देशानुसार आन–लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक "Submit" बटन को Click करना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी द्वारा "Submit" बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "Submit" बटन को Click करने के पश्चात् आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। **अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं आनलाइन आवेदन सम्बन्धी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।**

2. आवेदन शुल्क–आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैं:–

(i) अनारक्षित / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग	– परीक्षा शुल्क ₹ 100/– + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/– योग = ₹ 125/–
(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / भूतपूर्व सैनिक	– परीक्षा शुल्क ₹ 40/– + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/– योग = ₹ 65/–
(iii) दिव्यांग श्रेणी	– परीक्षा शुल्क NIL + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/– योग = ₹ 25/–
(iv) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला	– अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

3. ऐसे अभ्यर्थी, जो उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से प्रतिवारित किये गये हैं तथा उनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुयी है, उनका Basic Registration स्वीकार्य नहीं होगा। यदि प्रतिवारण सम्बन्धी तथ्यों को छिपाकर आवेदन कर भी देते हैं तो भविष्य में किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर न केवल इस परीक्षा हेतु उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा वरन् उन्हें समस्त आगामी परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने/प्रतिवारण अवधि बढ़ाये जाने के बारे में आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर आयोग द्वारा उन्हें प्रश्नगत परीक्षा तथा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

4. सबमिट किये गये आवेदन में संशोधनः आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, Aadhaar Number तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है, को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित/वापस नहीं किया जायेगा।) इसे आनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थियों को एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

''अभ्यर्थी को Candidate Segment में 'Online application process' के अन्तर्गत 'Modify Submitted Application' को क्लिक (Click) करना होगा। Click करने के पश्चात् "Candidate Personal Details" Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं., जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender), निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी तत्पश्चात् Verification Code अंकित करने के बाद 'Proceed' Button पर क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात् अभ्यर्थी का 'Authentication OTP (one time password) के द्वारा होगा। OTP अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नं. पर भेजा जायेगा जिसे अभ्यर्थी Option Box में भरेगा। इसके पश्चात् 'Proceed' बटन को क्लिक करने पर पूर्व में Submit आनलाइन आवेदन (Online Application Form) प्रदर्शित होगा। इस Online Application Form में वांछित संशोधन यथास्थान करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form 'Submit' किया जा सकता है। यह सुविधा अभ्यर्थियों को Online Application Form Submit करने की अन्तिम तिथि तक केवल एक बार ही अनुमन्य होगी।''

5. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा–2020 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट–2** में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा। कतिपय पदों पर चयन उनकी सेवा नियमावलियों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जायेगी। अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

6. रिक्तियों की संख्या : वर्तमान में सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा–2020 हेतु रिक्तियों की संख्या 564 है जो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती हैं।

वेतनमान–₹ 9300–34800/– ग्रेड पे ₹ 4600/– (पुनरीक्षित वेतनमान लेवल–7 पे मैट्रिक्स ₹ 44900–142400) से ₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 5400 (पुनरीक्षित वेतनमान ₹ 56100–177500 पे मैट्रिक्स लेवल–10) तक के वेतनमान के पद प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित हैं।

7. आरक्षणः उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जन जातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों, यथा–उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थियों/उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिकों/उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोटः–(1) शासनादेश संख्या–39 रिट/का–2/2019 दिनांक–26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या–18/1/99/का–2/2006 दिनांक–09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर–4 में दिये गये प्राविधान, ''यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है'' को रिट याचिका संख्या–11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक–16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक–09.01.2007 से प्रस्तर–04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक–16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या–475/2019 में मा. न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

(2) आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के **(परिशिष्ट–3)** में मुद्रित तथा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

(3) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करें।

(4) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यथी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे।

(6) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(7) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया गया है, उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण–पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतियाँ मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें: (केवल आयु में छूट हेतु) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या–22/10/1976– कार्मिक–2–85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तो पर आवेदन कर सकते हैं :

(1) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(2) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि **(क)** उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो। **(ख)** वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो। **(ग)** वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त न हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई हो। आवेदन पत्र Submit करने की अंतिम तिथि तक शैक्षिक योग्यता/पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण होना अनिवार्य है।

9. वैवाहिक प्रास्थितिः ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

10. शैक्षिक अर्हताएँ:–आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने आन–लाइन आवेदन के निर्धारित स्तम्भ में करें। विभिन्न पदों हेतु शैक्षिक अर्हताएँ संगत सेवा नियमावली के अनुसार निम्नवत हैः–

ग्रुप 'ए'	
लिखित परीक्षा + साक्षात्कार के माध्यम से चयन वाले पद	
1. जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी–2, ग्रेड–1	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान/उद्यान विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी. (कृषि/उद्यान) उपाधि)
2. प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र/खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी श्रेणी–2	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.) (किसी एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में विज्ञान स्नातक (बी.एस.सी.) के बाद राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान से फल एवं शाकभाजी प्रौद्योगिकी में दो वर्षीय स्नातकोत्तर सहयुक्त पाठ्यक्रम अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से (खाद्य प्रौद्योगिकी)/(खाद्य परीरक्षण)/(खाद्य विज्ञान) में विज्ञान स्नातकोत्तर (एम.एस.सी.)
ग्रुप 'बी'	
केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन वाले पद	
1(i) वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (शस्य शाखा)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से शस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है।
1(ii) वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (वनस्पति शाखा)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से उत्पत्ति विज्ञान सहित कृषि वनस्पति विज्ञान या पौध प्रजनन में स्नातकोत्तर उपाधि या जननिकी या पौध प्रजनन में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है।
1(iii) वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (पौध संरक्षण शाखा)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या पादप रोग विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या पादप रोग विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम. एस.सी. जन्तु विज्ञान, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है।
1(iv) वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (रसायन शाखा)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है।
2. वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (विकास शाखा)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि से संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि, कृषि स्नातक अनिवार्य।

नोटः–अभ्यर्थी उपर्युक्त में से ग्रुप–'बी' के अन्तर्गत वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (शस्य शाखा), प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (वनस्पति शाखा), प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (पौध संरक्षण शाखा) एवं प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (रसायन शाखा) के पदों में से किसी एक पद का चयन अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में कर सकता है।

11. आयु सीमा–(1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2020 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1980 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1999 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1965 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) अधिकतम आयु सीमा में छूटः (क) उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1975 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। **(ख)** उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। **(ग)** उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकमीशन प्राप्त अधिकारियों/ भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने सेना में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, समूह ख के पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी परन्तु समूह 'ख' के पदों हेतु आरक्षण देय नहीं होगा। समूह 'ग' के पदों हेतु नियमानुसार आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण देय होगा।

12. सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा तथा साक्षात्कार के सम्बन्ध में कतिपय सूचनायें:–(1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किए जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹ 200/– एवं आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/– योग ₹ 225/– तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क ₹ 80/– एवं आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/– योग ₹ 105/– निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें

आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/– मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क ₹ 80/– एवं आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/– योग ₹ 105/– निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से सम्बन्धित होंगे, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा। **(2)** अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है। **(3)** मुख्य परीक्षा हेतु तिथि तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किए जायेंगे, जिसकी सूचना ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। **(4)** साक्षात्कार वाले पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किये जायेंगे जो मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आधार पर सफल घोषित होंगे। **(5)** अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित आवेदन पत्रादि भरना होगा। **(6)** मूल प्रमाण पत्रों की जाँच साक्षात्कार के समय होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा। **(7)** केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **(8)** साक्षात्कार के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

नोटः–अभ्यर्थियों को सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

13. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेशः (1) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है।

(2) आन लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, नाम व पते का जो दावा किया जायेगा, वही मान्य होगा। इसके बाद कोई भी परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। गलत/भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(3) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को (मुख्य परीक्षा के) आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(5) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा–3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हों, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उपश्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम की धारा–3 के अनुसार पदों का नया चिन्हांकन अभी शासन से प्राप्त नहीं हुआ है अतएव नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधियाचन में दिव्यांग रिक्तियों का जो चिन्हांकन (श्रेणी/उपश्रेणी) प्राप्त होगा उसी के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी।

(6) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।

(7) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(8) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(9) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(10) आयोग, आवेदन पत्र की सरसरी जाँच पर अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था, अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

(11) कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांक्षनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(12) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नम्बर, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

(13) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

(14) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 13 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे तथा मुख्य (लिखित) परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु दो गुना अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे।

(15) याचिका सं. (सी)165/2005 *संजय सिंह बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग व अन्य* में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय/आदेश के क्रम में स्केलिंग की व्यवस्था यथावश्यक लागू रहेगी।

(16) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

(17) अभ्यर्थी OMR उत्तर पत्रक को भरने में केवल काले बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेंसिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।

(18) अभ्यर्थी OMR Answer Sheet की सभी प्रविष्टियां, सही–सही भरें। इन्हें रिक्त छोड़ने अथवा त्रुटिपूर्ण भरने की स्थिति में उनकी OMR Answer Sheet का मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। OMR उत्तर पत्रक में भरी गयी सूचना को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जाये।

(19) OMR Answer Sheets दो प्रतियों में, एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति (Original Copy) अन्तरीक्षक को सौंप देगें तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे।

(20) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्र में गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगीः–

1. प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंको का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जाएगा।
2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जाएगा।
3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जाएगा।

(21) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर पद के लिए अनुपयुक्त माने जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

1. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेगें।
2. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में 'SUBMIT' बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को प्रिन्ट आउट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर **(परिशिष्ट–3)** सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का

दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ियों तथा दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को, जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

4. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र शासनादेश संख्या–453/79– वि–1–15–1(क)–14–2015 दिनाँक 7.4.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6. किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7. यदि अभ्यर्थी को आन–लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा Website पर "Contact us" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

8. फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया **परिशिष्ट–1** में दी गई है। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु जिलों की सूची **परिशिष्ट–2** पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का नमूना **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रारम्भिक परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–4** पर तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–5** पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the top of the page, there is a Declaration for the candidates they are advised to go through the content of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped, and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification

Personal Details

This section shows Information about candidate personal details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.

Other Details of candidate

Other details of candidate show the information about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and physical deformity.

Education & Experience Details

It show educational and experience details of the candidate.

Candidate address, photo & signature details

It shows communication address and photo with signature of the candidate

Declaration segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidate. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview candidates detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that the candidate have mentioned on entry time if they are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that they can print.

Otherwise using "Back" button the details can be Modified.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website http://uppsc.up.nic.in CANDIDATE SEGMENT

CANDIDATE SEGMENT

NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS

All Notifications / Advertisements

ONLINE FORM SUBMISSION

1. Candidate Registration (FIRST STAGE)

2. Fee Deposition / Reconciliation (SECOND STAGE)

3. Submit Application Form (THIRD STAGE)

APPLICATION FORM STATUS

Update your transaction ID by Double Verification mode
View Application Status

List of Applications Having Photo related Objections7

Print Duplicate Registration Slip

Print Detailed Application Form

EXAMINATION SEGMENT

Print Address Slip for sending Documents to Commission [Only for Direct Recruitment]

DOWNLOAD SEGMENT

Download Admit Card

Download Interview Letter

Download Syllabus

Know your Registration No.

Click here to view Key Answer Sheet

Regarding Application:

1. On clicking "View Application status" option in candidate Segment page you can see current status of candidate.
2. On clicking "Result" option in candidate Segment page candidate can see result status of periodically.
3. "Interview/Exam Schedule" option in candidate Segment page candidate can see intervice and examination schedule details periodically.
4. On clicking "Key Answer Sheet" candidate can download key answer sheet.
5. On clicking "Admit Card/Hall Ticket" candidate can download their Admit Card using with some basic credential of candidate.
6. On clicking "List of Rejected Candidate" candidate can view rejected candidate list.
7. On clicking "Syllabus" candidate can view syllabus of particular examination.

(Candidates applying on-line need NOT send hard copy of the On-line Application filled by them on-line or any other document/certificate/ testimonial to the Uttar Pradesh Public Service Commission. However they are advised to take printout of the On-line Application and retain it for further communication with the UPPSC.) (The Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions). UPPSC takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents at subsequent stages of examination process.

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट–1

The Procedure relating to upload Photo & Signature.

Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signatue Space provided. Ensure that the signature is within the box,.

2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.

3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in ***.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png** format on local machine.

4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.

5. If the size of the file is more than 50KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning.

6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.

7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.

8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature:-

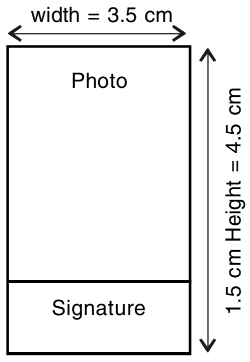

परिशिष्ट–2

जिन जनपदों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्नवत् हैं :–

लखनऊ, प्रयागराज

अन्तिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटायी/बढ़ाई जा सकती है।

परिशिष्ट–3

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यता रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पूरा नाम ....

मुहर .... पद का नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पूरा नाम ....

मुहर .... पद का नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

(प्रपत्र– I)

कार्यालय का नाम...

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या .... दिनांक ....

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पति/पुत्री .... ग्राम/कस्बा .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... तहसील .... जिला .... राज्य .... पिन कोड .... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:–

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर ....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

(प्रपत्र– II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... ग्राम/कस्बा .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... ब्लाक . ... तहसील .... जिला .... राज्य .... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :–

1. मैं .... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू. .... (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) .... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है–

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः–जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थानः–

दिनांकः–

उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण–पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No..

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt/Kum.. son/wife/daughter of Shri .... age.............sex................identification mark(S) .... is suffering from permanent disability of following category.

Recent Photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board.

A. Locomotor or cerebral palsy :

(i) BL-Both legs affected but not arms.
(ii) BA-Both arms affected
(a) Impaired reach (b) Weakness of grip
(iii) BLA-Both legs and both arms affected
(iv) OL-One leg affected (right or left)
(a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic
(v) OA-One arm affected
(a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic
(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
(vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision :

(i) B-Blind (ii) PB-Partialy Blind

C. Hearing impairment :

(i) D-Deaf (ii) PD-Partialy Deaf

(Delete tha category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/ is recommended after a period of .... year .... months.

3. Percentage of disability in his/her case is .... percent.

4. Sh./Smt./Kum.. meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

(i) F-can perform work by manipulating with fingers. Yes/No
(ii) PP- can perform work by pulling and pushing. Yes/No
(iii) L-can perform work by lifting. Yes/No
(iv) KC- can perform work by kneeling and crouching. Yes/No
(v) B-can perform work by bending. Yes/No
(vi) S-can perform work by sitting. Yes/No
(vii) ST- can perform work by standing. Yes/No
(viii) W-can perform work by walking. Yes/No
(ix) SE-can perform work by seeing. Yes/No
(x) H-can perform work by hearing/speaking. Yes/No
(xi) RW- can perform work by reading and writing. Yes/No

(Dr......................)	(Dr......................)	(Dr......................)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board

Countersigned by the
Medical Superintendent/CMO/HQ
Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... निवासी ग्राम–.., तहसील–.. नगर–.. जिला–... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित).. पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .... के आश्रित हैं।

स्थान : हस्ताक्षर ....
दिनांक : पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....

जिलाधिकारी
(सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ0प्र0 के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण–पत्र के फार्म–1 से 4

प्रारूप–1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम ....

राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ....निवासी .... पूरा पता .... ने दिनांक .... से दिनांक ....तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय ऐसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) .... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....
दिनांक .... नाम ....
पद ....
संस्था का नाम ....
मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल ऐसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) ....

राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) .... आयोजित राष्ट्रीय

.... में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र .... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....
दिनांक .... नाम ....
पद ....
संस्था का नाम ....
पता ....
मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अर्न्तविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम ....

राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवास (पूरा नाम) ....विश्वविद्यालय की कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित अर्न्तविश्वविद्यालय .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद .... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....
दिनांक .... नाम ....
पद ....
संस्था का नाम ....
मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश

.... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ....निवास (पूरा नाम) .... में .... स्कूल में कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ....स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....
दिनांक .... नाम ....
पद ....
संस्था का नाम ....
मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा .... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

परिशिष्ट–4

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन/कृषि विषय का 300 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 (कृषि विषय के 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न) होगी। इसका समय 2 घण्टे का होगा।

पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन

1. सामान्य विज्ञान (हाईस्कूल स्तर तक)
2. भारत का इतिहास
3. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
4. भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति
5. भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार
6. भारत एवं उत्तर प्रदेश का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन
7. अधुनातन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम
8. सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता
9. उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन–सहन और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी
10. प्रारम्भिक गणित (आठवीं स्तर तक)–अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित
11. परिस्थितिकी तथा पर्यावरण

कृषि विषय

फसल वितरण एवं उत्पादन के पर्यावरणीय कारक, फसल वृद्धि के कारक के रूप में जलवायुवीय घटक। उत्तर प्रदेश के विभिन्न सस्य–जलवायुवीय क्षेत्रों में फसल क्रम, टिकाऊ फसल उत्पादन के सम्बन्ध में बहुफसली, बहुखण्डीय, रिले एवं सहफसली खेती का महत्व एवं संकल्पना, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ एवं रबी की ऋतु में उगायी जाने वाली मुख्य धान्य, दलहनी, तिलहनी, रेशे, शर्करा एवं नकदी फसलों के उत्पादन की पैकेज एवं क्रियाएँ, कृषि–वानिकी एवं सामाजिक–वानिकी के सन्दर्भ में वनीय पौधों के विभिन्न प्रकार, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं, क्षेत्र एवं प्रवर्धन, खरपतवार, उनकी विशेषताएं, विस्तार, विभिन्न फसलों के साथ संगति, उनका गुणन एवं नियन्त्रण, आधुनिक संकल्पना के साथ भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा के खनिज एवं जैविक भाग एवं उनकी मृदा उत्पादकता को बनाये रखने में महत्व, भारत में समस्याग्रस्त मृदाओं की सीमा एवं वितरण एवं उनका सुधार, आवश्यक पादप तत्व, मृदा एवं पौधों में अन्य लाभकारी तत्व, उनका स्रोत, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कार्य एवं चक्र, सहजीवी एवं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मृदा उर्वरता के सिद्धान्त एवं विवेकपूर्ण उर्वरक उपयोग के लिये उनका मूल्यांकन, मृदा संरक्षण एवं जलागम के आधार पर उनकी योजना, शुष्क कृषि एवं इसकी समस्याएँ, उत्तर प्रदेश के वर्षा आधारित खेती के क्षेत्र में कृषि उत्पादन को स्थिर करने हेतु तकनीकी, जैविक खेती की आवश्यकता एवं क्षेत्र।

सिंचाई एवं जल निकास, प्रक्षेत्र प्रबन्ध एवं इसका क्षेत्र, महत्व एवं विशेषताएँ, कृषि अर्थव्यवस्था में सहकारिता का योगदान, खेती के प्रकार एवं पद्धति एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, कृषि प्रसार, इसका महत्व एवं योगदान, प्रसार कार्यक्रम की विधियाँ, संचार, नवाचार को अपनाना, किसानों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रसार पद्धति एवं कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं भ्रमण, के.वी.के., एन.ए.टी.पी., आई.वी.एल.पी., डी.ए.एस.पी. एवं ए.टी.एम.ए., प्रक्षेत्र यन्त्रीकरण, ग्रामीण रोजगार एवं कृषि उत्पादन में इसका योगदान।

आनुवंशिकता और भिन्नता, मेंडल के वंशागति के नियम, मुख्य फसलों के सुधार में पादप प्रजनन के सिद्धान्तों का उपयोग, स्व एवं पर–परागित फसलों में प्रजनन की विधियाँ, अनुप्रयोग, वरण, संकरण, नरबंध्यता एवं स्वअनिषेच्यता, बीज प्रौद्योगिकी एवं इसका महत्व, उत्पादन, प्रसंस्करण, संग्रह एवं बीज का परीक्षण, उन्नतशील बीज के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन में राष्ट्रीय एवं राज्य बीज संगठन का योगदान, दैहिकी एवं कृषि में इसका महत्व, जल का अवशोषण एवं अनुवादन वाष्पोत्सर्जन एवं जल की बचत।

प्रकाश संश्लेषण–आधुनिक संकल्पना एवं प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, वायुवीय एवं अवायुवीय श्वसन, वृद्धि एवं विकास, पादप वृद्धि नियामक एवं उनके कार्य करने की क्रियाविधि तथा फसल उत्पादन में महत्व, मुख्य फलों, सब्जियों एवं शोभाकारी फसलों की खेती की जलवायुवीय आवश्यकता, पैकेज एवं क्रियाओं एवं उनके लिये वैज्ञानिक आधार, फलों एवं सब्जियों के परिरक्षण की विधियाँ एवं सिद्धान्त, फूलों की खेती एवं शोभाकारी पौधों को उगाना, उत्तर प्रदेश के सब्जियों, फलों, शोभाकारी पौधों, धान्य, दलहनी, तिलहनी, रेशे, शर्करा एवं नगदी फसलों के रोग एवं कीट एवं पादप बीमारियों का नियन्त्रण, रोग एवं कीटों का एकीकृत प्रबन्ध, भारत में खाद्य उत्पादन एवं उपभोग का प्रचलन, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीतियाँ, प्राप्ति, वितरण, प्रसंस्करण एवं उत्पादन अवरोध।

परिशिष्ट–5

मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

1.	प्रथम प्रश्न पत्र	सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध (परम्परागत)	समय–02 घण्टा	पूर्णांक–100 अंक
2.	द्वितीय प्रश्न पत्र	वैकल्पिक विषय (परम्परागत)	समय–03 घण्टा	पूर्णांक–200 अंक

पाठ्यक्रम

प्रथम खण्ड **सामान्य हिन्दी** **निर्धारित अंक–50**

1. अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे सम्बन्धित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक।

2. अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी (शब्द भण्डार), वर्तनी, अर्थबोध, शब्द–रूप, सन्धि, समास, क्रियायें, हिन्दी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ।
3. वाक्यों का हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद।

द्वितीय खण्ड **हिन्दी निबन्ध** **निर्धारित अंक–50**

इसके अन्तर्गत एक खण्ड होगा। इस खण्ड में से एक निबन्ध लिखना होगा। इस निबन्ध की अधिकतम विस्तार सीमा 500 शब्द होगी। निबन्ध हेतु निम्नवत् क्षेत्र होंगेः–

1. साहित्य, संस्कृति
2. राष्ट्रीय विकास योजनायें/क्रियान्वयन
3. राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय, सामयिक सामाजिक समस्यायें/निदान
4. विज्ञान तथा पर्यावरण
5. प्राकृतिक आपदायें एवं उनके निवारण
6. कृषि, उद्योग एवं व्यापार।

द्वितीय प्रश्नपत्र

परीक्षा योजना–वैकल्पिक विषयों (परम्परागत) प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत हैः–

प्रश्नों की कुल संख्या–8 होगी। प्रश्न पत्र खण्ड–'अ' एवं खण्ड 'ब' दो भागों में विभाजित होगा। खण्ड 'अ' में 04 प्रश्न तथा खण्ड 'ब' में 04 प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या–1 एवं 05 अनिवार्य होंगे तथा प्रत्येक खण्ड से दो प्रश्न करना अनिवार्य होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे तथा कुल 05 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

साक्षात्कार

कुल अंक–50 (केवल उन पदों के लिए जिसमें साक्षात्कार होना है।)

ग्रुप 'ए' पाठ्यक्रम

(1) जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी–2 (ग्रेड–1)

उत्तर प्रदेश एवं भारत की शस्य जलवायविक क्षेत्र, कृषि मौसम विज्ञान का तात्पर्य एवं विस्तार, वायुमण्डलीय मौसम के घटक, ग्लोवल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के कारण एवं कृषि पर इसका प्रभाव। मौसम प्रतिकूलता–सूखा, बाढ़, पाला, गर्म तथा शीत हवायें। एकीकृत कृषि प्रणाली–क्षेत्र महत्व। जैविक कृषि की संकल्पना। खरपतवार तथा इनका नियंत्रण। एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन की संकल्पना। संतुलित पोषण, प्रसिजन, कृषि, सिंचाई एवं जल प्रबंधन। मानव पोषण में फलों एवं सब्जियों का महत्व। फलों एवं सब्जियों की नर्सरी की स्थापना। प्रवर्धन विधियाँ, बागों की योजना एवं रेखांकन। कटाई–छटाई के सिद्धान्त एवं विधियाँ। फल, सब्जियों, शोभाकारी तथा औषधीय फसलों की खेती–आम, अमरूद, ऑवला पपीता, केला, नींबू प्रजाति, टमाटर, बैंगन, भिंडी, गाजर, मिर्च, लौकी, गेंदा, ग्लेडीओलस, अश्वगंधा तथा सफेद मुसली। गृह एवं पोषण वाटिका की स्थापना। फलों एवं सब्जियों की जैविक खेती। औद्यानिक उत्पाद–जैम, जेली, स्कवेश, टमाटर सॉस, अचार तथा कार्डियल के तैयार करने की विधि।

(2) प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र/खाद्य–प्रसंस्करण अधिकारी, श्रेणी–2

- फलों एवं सब्जियों के परिरक्षण के सिद्धान्त तथा विधियाँ।
- औद्योगिक फसलों की तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन।
- जैम, जेली, मार्मलेंड, कैन्डी, अचार, केचप, सॉस, स्क्वैश एवं कार्डियल बनाने की विधि।
- फल संभलाव, छटनी, पैकेजिंग, फलों एवं सब्जियों का भंडारण विधियाँ गुण एवं दोष सहित।
- डिब्बाबंदी, पास्तुरीकरण, शून्य–ऊर्जा, शीतकक्ष, हरितविहीनता, परिपक्वता मानक, पूर्व शीतलन, नियंत्रित पर्यावरण संग्रह की संकल्पना।
- खाद्य–नुकसान–नुकसानकारकों के संदर्भ में खाद्य वर्गीकरण।
- औद्योगिक एवं निर्यात क्षमता, कृषि निर्यात क्षेत्र तथा औद्योगिक समर्थन।
- महत्वपूर्ण फलों एवं सब्जियों में उपस्थित विटामिन।

ग्रुप 'बी'

1(i) सीनियर टैक्नीकल असिस्टेन्ट, ग्रुप–'ए' (एग्रोनोमी)

- कृषि मौसम विज्ञान का अर्थ एवं उपयोगिता, वायुमण्डलीय जलवायु के घटक, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के कारण एवं उनका कृषि पर प्रभाव, जलवायु हैजार्ड्स–सूखा, बाढ़, पाला, गर्म लहर, शीतलहर, उत्तर प्रदेश एवं भारत के शस्य जलवायुविक क्षेत्र।
- फसल उत्पादन के वैज्ञानिक सिद्धान्त, उत्पादन फलन एवं कारक प्रतिफल, मृदा एवं पौधों में सम्बन्ध की संकल्पना, पौध वृद्धि की संकल्पना, जुताई की आधुनिक संकल्पना, समेकित पोषक तत्व प्रबन्धन की संकल्पना, संतुलित पोषण, परिष्कृत कृषि।
- टिकाऊ कृषि–कृषि की परेशानियां और उनका प्रभाव, कन्जरवेशन एग्रीकल्चर, कृषि की रणनीतियां, संसाधनों के उपयोग की दक्षता और अनुकूलन तकनीकी।
- कृषि प्रणाली–उपयोगिता, महत्व, संकल्पना, फसलप्रणाली एवं फसल पैटर्न, बहुफसली खेती, अन्तःफसली खेती, समेकित कृषि प्रणाली आर्गेनिक कृषि।
- खरपतवार–विशेषतायें, खरपतवार बायोलाजी, खरपतवारों का प्रसार, खरपतवार–फसल सहसम्बन्ध, खरपतवारों का गुणन, खरपतवार नियंत्रण एवं प्रबन्धन।
- शुष्क कृषि, वर्षा आधारित कृषि।
- सिंचाई एवं जलप्रबन्धन, सिंचाई समय सारिणी का निर्धारण, जल निकास, जल बहाव, सिंचाई जल का क्षरण, जल उपयोग क्षमता।
- फसल उत्पादन की विधियाँ–उत्तर प्रदेश के रबी, खरीफ, जायद मौसम में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलें, दलहनी, तिलहनी, रेशे वाली, चारा फसलें, मिठास युक्त फसलें, नकदी फसलें आदि।

1(ii) वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (वनस्पति शाखा)

विषयः कृषि वनस्पति/आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन

आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन के ऐतिहासिक संदर्श, मेंडल के वंशागति के नियम, बहुविकल्पी, जीन अन्योनकरण, लिंग निर्धारण, लिंग सहलग्नता, लिंगाधीन और लिंग सीमित लक्षण सहलग्नता ज्ञात करना, आकलन, यूकेरियोट्स में पुनर्संयोजन एवं आनुवंशिक चित्र। प्रोकैरियोट्स एवं यूकेरियोट्स में गुणसूत्र संगठन, कृत्रिम गुणसूत्र निर्माण और इसके उपयोग, विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धान्त–कोशिकाचक्र एवं समसूत्रण और अर्द्धसूत्रण कोशिका विभाजन। विनिमय प्रक्रिया एवं विनिमय के कोशिकीय आधार। संरचनात्मक एवं संख्यात्मक गुण सूत्र विपथन एवं उनके अनुप्रयोग। बहुगुणिता तथा फसल सुधार में बहुगुणिता का योगदान; गुणसूत्र बाह्य वंशागति। विदेशी योगज तथा विदेशी विस्थापन पंक्ति की रचना एवं अनुप्रयोग; अन्तरजातीय संकरण और पर बहुगुणिता; नई फसल का संश्लेषण।

आनुवंशिक द्रव्य की प्रकृति, संरचना और प्रतिकृति, गुणसूत्रों में DNA का संगठन; आनुवंशिक कोड, प्रोटीन का जैवसंश्लेषण। जीन की सूक्ष्म संरचना, विकल्पी पूरकीकरण, स्प्लिटजीन, ओवर लैपिंग जीन, स्यूडोजीन, ओन्कोजीन। प्रोकैरियोट्स एवं यूकेरियोट्स में जीन गतिविधि का विनियमन, उत्परिवर्तन, मरम्मत एवं दमन के आण्विक तंत्र।

पादप प्रजनन के उद्देश्य, क्रियाएँ एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जनन विधियाँ तथा जैव विकास के पैटर्न। पौध उद्भव केन्द्र एवं इसका महत्व। स्व और पर–परागित फसलों में सुधार के आनुवंशिक आधार, संगम विधियाँ, वरण की अनुक्रिया–विविधता के प्रकृति, विविधता के घटक, वंशागतित्व एवं आनुवंशिक प्रगति, जीनप्ररूप–वातावरण अन्तःक्रिया, यादृच्छिक संगम, समष्टि–जीन तथा जीन प्ररूप की आवृति में परिवर्तन का कारण, हार्डी–विनबर्ग नियम। सामान्य एवं विशिष्ट संयोजन क्षमता, जीनक्रिया के प्रकार तथा पादप प्रजनन में इसके निहितार्थ। पादप पुरःस्थापन तथा पादप प्रजनन में पौध जननद्रव्य संसाधनों का योगदान। फसलों में स्वअनिषेच्यता एवं नरबंध्यता का वाणिज्यिक उपयोग। शुद्ध वंशक्रम सिद्धान्त, शुद्ध वंशक्रम वरण तथा समूह वरण, वंशावली पद्धति, पुंज विधि, प्रतीप संकरण विधि, एकल बीज संतति विधि एवं बहुक्रम विधि; स्व–परागित फसलों में समष्टि प्रजनन (डाइएलिल वरणीय संगम विधि)। पर–परागित फसलों में फसल सुधार विधियाँ; समष्टि प्रजनन–समूह वरण तथा भुट्टे–से–पंक्ति विधि, शीघ्र परीक्षण, अन्तरा एवं अन्तर–समष्टि सुधार के लिए आवर्तीवरण पद्धतियाँ तथा संश्लिष्ट एवं मिश्र किस्मों का विकास, संकर प्रजनन–संकर ओज एवं अंतः प्रजनन का आनुवंशिक और कार्यिकीय आधार, अन्तः प्रजात का उत्पादन, अन्तः प्रजात में उन्नयन के लिए प्रजनन की विधियाँ, संकर प्रजाति के उपज का पूर्वानुमान, संकर प्रजाति एवं उनके जनक/अन्तः प्रजात का बीज उत्पादन। अलैंगिक प्रवर्धित फसलों में प्रजनन की विधियाँ। आदर्श पौध की अवधारणा एवं फसल उन्नयन में इसका योगदान। विशेष प्रजनन तकनीक–उत्परिवर्तन प्रजनन। पादप प्रजनक के अधिकार और पौध किस्म संरक्षण तथा कृषक अधिकार विनियम।

जैव प्रोद्यौगिकी एवं कृषि में इसका महत्व, ऊतक संवर्धन–ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, कैलस, निलंबन संवर्धन, पुर्नजनन, कायिक भ्रूणजनन, परागकोष संवर्धन, कायिक संकरण तकनीक, मेरिस्टेम, अन्डाशय तथा भ्रूणसंवर्धन, निम्नताप संरक्षण। DNA विलगन, परिमाणन एवं विश्लेषण, जीनोटाइपिंग, अनुक्रम तकनीक, वाहक, वाहक तैयारी तथा क्लोनिंग, जीनोमी एवं C-DNA लाइब्रेरी, जैव रासायनिक, आकारिकी एवं DNA आधारित चिन्हकों (RFLP, RAPD, AFLP, SSR, SNP's EST etc.) चित्रण समष्टियाँ, गुणात्मक एवं मात्रात्मक लक्षणों के लिए चिन्हक सहायतित वरण, फसलों में मात्रात्मक लक्षण विस्थलों; QTLs) का विश्लेषण, फसल उन्नयन के लिये जीनोमिक्स एवं भूसूचना, पुनर्योगज DNA तकनीक, पारजीन, रूपान्तरण विधियाँ, वाहक मध्यस्था द्वारा जीन स्थानान्तरण, जीन स्थानान्तरण की भौतिक विधियाँ। नरबन्ध्यता के लिये जैव प्रोद्यौगिकी का अनुप्रयोग, आविण्क खेती। आनुवंशिक रूप से रूपान्तरित जीव तथा संबंधित विचार–विषय (आशंका एवं विनियम)।

जैविक तथा अजैविक प्रतिबलरोधिता, परपोषी–रोगजनक अन्तःक्रिया, जीन के लिए जीन परिकल्पना। जैविक प्रतिबलरोधिता के प्रकार तथा आनुवंशिक क्रिया विधिः क्षैतिज रोधिता तथा उर्ध्वरोधिता, जीन पिरामिडिंग।

प्रजाति विकास एवं अनुरक्षण, प्रजाति विमोचन, परीक्षण और भारत में अधिसूचना प्रक्रिया। बीज की आनुवंशिक शुद्धता अवधारणा एवं DUS परीक्षण। प्रजातियों में आनुवंशिक ह्रास के उत्तरदायी कारक–बीज उत्पादन के दौरान सुरक्षा उपाय, गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन के सिद्धान्त। बीज उत्पादन की पीढ़ी प्रक्रिया–नाभिकीय बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज। धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का अरहर, चना, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी एवं सरसों के गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन की प्रक्रिया। बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया और बीज अधिनियम।

1(iii) वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (पौध संरक्षण शाखा)

- भारत में पौध संरक्षण का इतिहास एवं महत्व।
- उत्तर प्रदेश में पौध संरक्षण संगठन की स्थापना।
- कीट नियंत्रण के सिद्धान्त क्रमशः भौतिक यान्त्रिक कर्षण और जैविक एवं एकीकृत कीट प्रबन्धन।
- पौध संरक्षण यंत्रों का देखभाल एवं रख रखाव।
- अनाजों एवं दलहनी फसल के भण्डारण कीट।
- प्रमुख फसलों के कीट प्रबन्धन, अनाज (धान, गेहूँ), मोटे अनाज (मक्का, ज्वार एवं बाजरा) तिलहनी फसल (सरसों, तिल एवं सूर्यमुखी), दलहनी फसल (अरहर, मटर, चना एवं मसूर) और गन्ना।
- पौध संरक्षण का सामान्य सिद्धान्त एवं कृषि में इसका महत्व।
- पौध संक्रमण के सिद्धान्त एवं इनकी पृथकीकरण की विधियाँ।
- पौध रोग नियंत्रण के सिद्धान्त, संगरोध, कर्षण क्रियायें, जैविक विधियाँ, रासायनिक विधियां तथा रोग प्रतिरोधक विधियां, बीजोपचार छिड़काव, धूलिमार्जन, कवकनाशी एवं प्रतिजैविक विभिन्न समूह की कार्य विधि।
- उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में अनाज, दलहनी, तिलहनी, फलों एवं सब्जियों के प्रमुख रोग के लक्षण, हेतुकी, संचरण एवं नियंत्रण।

1(iv) वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (रसायन शाखा)

मृदा–भौतिक, रसायनिक एवं जैविक गुण, मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं एवं प्रभावित करने वाले कारक। मृदा की खनिज एवं जैविक भाग एवं उनकी मृदा उत्पादकता को बनाये रखने में महत्व। आवश्यक पादप तत्व–मुख्य एवं सूक्ष्म एवं मृदा में अन्य लाभकारी तत्व। तत्व उपलब्धता के स्रोत एवं प्रकार। मृदा उर्वरता के सिद्धान्त एवं एकीकृत तत्व प्रबन्धन। मृदा में नत्रजन (नायट्रोजन) की हानि एवं फास्फोरस तथा पोटाश स्थिरीकरण अम्लीय लवणीय एवं जलमग्न मृदाओं की रसायनिक गुण एवं उनके सुधार की विधियां। मृदा के प्रकार एवं उनकी प्रमुख विशेषताएं।

मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान–विभिन्न मृदा में पाये जाने वाले जीवों के प्रकार एवं उनकी परिस्थितिकी। मृदा, तत्वों के सूक्ष्म जीव रूपान्तरण जैविक पदार्थो तथा कीटनाशकों के जैव अक्रमण एवं फसलोत्पादन तथा मृदा सुधार में उनका उपयोग।

कृषि से सम्बन्धित मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या। प्रदूषणों की प्रकृति एवं स्रोत, उनका फसलों तथा मृदाओं पर प्रभावः मृदा अपशिष्ट निपटान का एक स्रोत। कीटनाशक–उनका वर्गीकरण एवं मृदा में उनकी प्रकृति तथा मृदा सूक्ष्म, तत्वों पर उनका प्रभाव। जहरीले तत्व का उनके स्रोत, मृदा में, उनकी प्रकृति तथा मृदा सूक्ष्म तत्वों पर उनका प्रभाव, जहरीले तत्व व उनके स्रोत, मृदा में उनकी प्रकृति तथा तत्वों एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव तत्वों एवं कीटनाशकों के निक्षालन का जल संसाधनों का प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैस–कार्बन डाई आक्साइड, मीथेन एवं नाइट्रस आक्साइड। प्रदूषित मृदा एवं जल संसाधनों के सुधार की विधियां।

भूमि संरक्षण एवं मृदा सर्वेक्षण–परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार, भूमि उपयोगिता वर्गीकरण। मृदा कटाव–जल क्षरण की परिभाषा, प्रक्रिया, प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक। जल क्षरण में मृदा अपवाह एवं तत्वों का ह्रास तथा उनके अनुमान तथा मापन की विधियां– मृदा एवं जल संरक्षण विधियाँ–शस्य अभियन्त्रिकी एवं वानिकी विधियां। वायुक्षरण रोकथाम विधियां–सतही एवं वानिकी (वायुरोधक एवं रक्षिपट्टी)। शुष्क कृषि–शुष्क क्षेत्र खेती, एवं वर्षा आधारित खेती के उपाय। जलागम प्रबन्धन–संकल्पना, सिद्धान्त, उद्देश्य, क्रमवार कार्य एवं घटक। जलागम प्रबन्धन से सम्बन्धित योजनाएं एवं जैवऔद्योगिक जलागम प्रबन्धन की संकल्पना। सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं समस्थानिक तकनीकी का सर्वेक्षण एवं जलागम के योजना एवं प्रबन्धन में उपयोगिता। संरक्षण सिंचाई–परिभाषा, जलबहाव हानि पर नियंत्रण, जल बचत की सतही, छिड़काव एवं टपकाव विधियां। जलनिकास–संभावित पुनः उपयोग की सतही एवं अधोसतही विधियां व कम खर्चीली जैव जलनिकास विधि। समस्याग्रस्त क्षेत्रों–बीहड़ एवं खड्ड, जलमग्न क्षेत्र लवणीय, मृदा, पहाड़ी ढलान, भूस्खलन, बहाव–कटाव नियंत्रण, बालू के टीलों का स्थिरीकरण एवं अन्य बंजर/बेकार भूमियों में वृक्षारोपण को प्रभावी बनाने की भूमिसंरक्षण विधियां। कृषि वानिकी–परिभाषा, उद्देश्य, आवश्कता, महत्व एवं प्रणाली। जलवायु परिवर्तन को सीमित रखने एवं कृषि विकास परिस्थिकीय संतुलन एवं राष्ट्रीय आर्थिक सुधार में वानिकी विकल्प। खड्ड नियंत्रण संरचनाएं–अवरोध बांध तालाब एवं जलसंग्रहण संरचनाओं की अभिकल्पन एवं निर्माण।

(2) वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (विकास शाखा)

- कृषि मौसम विज्ञान का महत्व, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के कारण एवं कृषि पर इसका प्रभाव, मौसम प्रतिकूलता–सूखा, बाढ़ एवं पाला, उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र।
- एकीकृत कृषि प्रणाली–क्षेत्र, महत्व, संकल्पना, फसल पद्धति एवं फसल प्रकार, बहुफसली एवं सहफसली, जैविक खेती।
- सतत् कृषि–समस्यायें तथा इसका कृषि पर प्रभाव, एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन की संकल्पना (आई.एन.एम.)।
- एकीकृत कीटनाशी प्रबन्धन (आई.पी.एम.), एकीकृत खरपतवार प्रबन्धन (आई.डब्ल्यू.एम.), जलागम प्रबन्धन–संकल्पना, उद्देश्य एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन एवं दुग्ध विकास का योगदान, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, भारत में विभिन्न कृषि क्रान्तियाँ, बीज के प्रकार, जलवायु परिवर्तन को सीमित रखने में वानिकी का योगदान।
- स्वतन्त्रता के पूर्व एवं पश्चात् कृषि प्रसार का प्रयास, कृषि में कृषि विज्ञान केन्द्र, सूचना तकनीकी एवं संचार का योगदान।
- पैकेज एवं प्रैक्टिसिसेसः
  (i) धान्य फसलें: धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा
  (ii) दलहनी फसलें: अरहर, चना, मसूर, मटर
  (iii) तिलहनी फसलें: सरसों, अलसी, तिल
  (iv) नकदी फसलें: गन्ना, आलू
  (v) सब्जी की फसलें: टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिण्डी
  (vi) फल वाली फसलें: आम, अमरूद, ऑवला
  (vii) पुष्पीय फसलें: ग्लैडिओलस, गेंदा, गुलाब

सचिव